मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969

क्र. 7314-53/दस/(3)-69 मध्य पद्रेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9, वर्ष 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एद्तद्वारा, निम्नलिखित नियम जो कि उक्त धारा की उपधारा (1) अपेक्षित किये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके हैं अर्थात

नियम

1. संक्षिप्त नाम - ये नियम मध्य प्रदेश, इमारती लकड़ी से भिन्न, वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969 कहलायेंगे।

[1](क) लागू होना - ये इमारती लकड़ी से भिन्न समस्त विनिर्दिष्ट वनोपज पर लागू होंगे।

[1](ख) निर्देश का अर्थान्वयन (Construction of Reference) इन नियमों में विनिर्दिष्ट वन उपज के प्रति किसी भी निर्देश के अन्तर्गत इमारती लकड़ी के प्रति निर्देश नहीं होगा।

2. परिभाषायें - इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9, वर्ष 1969), से है।

(ख) "खण्डीय वन आफिसर" से तात्पर्य उस वन आफिसर से है, जो क्षेत्रीय वन खण्ड का प्रभारी हो।

(ग) "प्ररूप" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्ररूप से है।

(घ) "क्रेता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से है, जिसे ऐसी रीति में, जिसका कि राज्य सरकार धारा 12 के अधीन निर्देश दें, विनिर्दिष्ट वन उपज बेच दी गई हो या उसका अन्यथा निवर्तन कर दिया गया हो।

(ङ) "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

---

1. राज्य शासन ने अधिसूचना क्र. 18-7-73 दस (एक) दिनांक 23/10/78 के द्वारा नियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित/राजपत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1978, भाग 4(ग), पृष्ठ 313।

(च) "परिवहन अनुज्ञा पत्र" का तात्पर्य विनिर्दिष्ट वन - उपज का परिवहन करने के लिये धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से हैं

3. अभिकर्ता की नियुक्ति - (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन इकाई या इकाइयों के लिये तथा समस्त या किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के हेतु अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार, अभिकरण (Agency) के निबन्धन तथा शर्तें देते हुए और एसी नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए, मध्य प्रदेश राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में, जिसे कि वह उचित समझे एक सूचना प्रकाशित करेगी।

(2) अभिकरण के लिए आवेदन "प्रारूप क" में होगा जो कि सम्बन्धित खण्डीय वन आफिसर के कार्यालय से या किसी अन्य खण्डीय वन आफिसर से, प्रत्येक प्रारूप के लिये एक रूपये का संदाय करने पर प्राप्त किया जा सकेगा।

(3) अभिकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के लिये न लौटाने योग्य दस रुपये फीस चुकाई जायेगी। रकम वन विभाग द्वारा धनराशि स्वीकार करने के लिए विहित नियमों के अनुसार उस खंड के खाते में देय होगी, जिसमें कि इकाई स्थित हो। प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज की इकाई के लिये पृथक्-पृथक् आवेदन आपेक्षित होगा।

(4) (एक) अभिकरण के लिये आवेदन-पत्र विहित आवेदन फीस सहित, सभी दृष्टियों से पूर्ण किया जाकर ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी तारीख तक, ऐसी रीति में, जो कि पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रस्तुत किया जायेगा।

(दो) किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से आवेद करने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि वह आवेदन पत्र के साथ उस मुख्यत्यारनामे की, जो ऐसे व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित किया गया हो, जो उसे, उस व्यक्ति या फर्म की ओर से कार्य करने हेतु सशक्त करता हो, या उस फर्म के, जिसका कि भागीदार होने का दावा करता हो, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न न कर दे, तथा खंडीय वन आफिसर के समक्ष मूलत: प्रस्तुत न कर दे।

(तीन) ग्राम पंचायत या सहकारी सोसायटी इस सम्बन्ध में पारित संकल्प की सम्यक्रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगी;

परन्तु संकल्प की ऐसी प्रमाणिक प्रतिलिपि, मध्य प्रदेश स्टेट ट्रायबल को-आपरेटिव डेबलपमेन्ट कारपोरेशन की दशा में अपेक्षित नहीं होगी।

(5) (एक) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ, कोषागार का चालान संलग्न होगा जो यह दर्शावेगा कि आवेदक द्वारा राजस्व निक्षेप (Revenue Deposit) के अधीन पाँच सौ रुपये का नगद निक्षेप अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) के रूप में सम्बन्धित वन आफिसर के नाम किया है। राजस्व निक्षेप करने के लिये चालान किसी भी वन अफसर से प्राप्त किया जा सकेगा।

(दो) ऊपर वर्णित अग्रिम प्रतिभूति, निक्षेप के अतिरिक्त आवेदक उपनियम (1) के अधीन जारी की गई पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट की गई रकम की सीमा तक व्यक्तिगत शोध क्षमता (Solvency) का प्रमाण-पत्र या ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाला स्वतन्त्र प्रतिभू (Independent Surety) का प्रतिभू बन्धनामा (Security Bond) प्रस्तुत करेगा और संलग्न करेगा :

परन्तु राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या सहकारी सोसायटी या मध्यप्रदेश स्टेट ट्रायबल को आपरेटिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को इस खण्ड के उपबन्धों से छूट दे सकेगी।

(तीन) आवेदक, आवेदन पत्र को तब तक प्रत्याहृत (Withdraw) नहीं करेगा, जब तक कि आवेदन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश पारित न कर दिये गये हों या कोई अन्य व्यक्ति, ग्राम पंचायत, या सहकारी सोसायटी या मध्य प्रदेश स्टेट ट्रायबल को आपरेटिव डेबलपमेन्ट कारपोरेशन को उस इकाई के लिए अभिकर्ता के रूप में नियुक्त न कर दिया गया हो। इस उपबन्ध का भंग करने पर खण्ड (एक) के अधीन जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप अधिहरित (Foreited) हो जायेगा।

(6) राज्य सरकार किसी भी आवेदन पत्र को, इस सम्बन्ध में कोई भी कारण बताये बिना स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप, उन आवेदकों को लौटा दिया जायेगा जिनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये हों। अभिकर्ता के रूप्में नियुक्त किये गये आवेदक को अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप, उपनियम (8) के उपबन्धों के अधीन रखते हुए, उप नियम 9 के अधीन आपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(7) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना समीचीन तथा आवश्यक है वहाँ वह उसके लिये लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी व्यक्ति, सहकारी सोसायटी, या ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश स्टेट ट्रायबल को-आपरेटिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज की एक या अधिक इकाईयों के लिये अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(8) (एक) अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने पर, इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति या ग्राम पंचायत या सहकारी सोसायटी, जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश ट्रायबल को-आपरेटिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन भी आता है, नियुक्ति का आदेश जारी किये जाने से पन्द्रह दिन के भीतर 'प्रारूप ख' में एक करार निष्पादित करेगा, जिसे निष्पादित न करने की दशा में नियुक्ति रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी और इस प्रकार से (नियुक्ति के) रद्द हो जाने पर -

(क) अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप अधिरहित (Forfeit) किया जायेगा और,

(ख) अभिकर्ता, नियुक्ति रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा उठाई गई हानि की, यदि कोई हो, पूर्ति करने का दायी होगा उसकी संगणना निम्नानुसार की जावेगी -

(A) सरकार को हानि।

(B) इकाई के लिये अधिसूचित विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा तथा संग्रीहत तथा परिदत्त की गई वन उपज की मात्रा का अन्तर।

(C) मात्रा की प्रति इकाई दर, वह रकम होगी जो उस दर में से, जिस पर कि सरकार विनिर्दिष्ट वन-उपज बेचती है, क्रेता को विनिर्दिष्ट वन-उपज का परिदान किये जाने पर सरकार द्वारा मात्रा की प्रति इकाई पर किये गये व्ययों के घटाने से शेष रहे।

हानि (A) = B × C

अर्थात् हानि उस रकम के बराबर होगी जो इकाई के लिए अधिसूचित की गई मात्रा से कम संग्रहित तथा परिदत्त की गई मात्रा को, ऐसे अंक से गुणा करने से प्राप्त हो जो अंक वन-उपज के विक्रय दर, तथा शासन द्वारा ऐसी वन-उपज के क्रेता को परिदत्त किये जाने के समय तक, मात्रा की प्रति इकाई पर किये गये समस्त व्यय के अन्तर के बराबर हो।

उदाहरण - वनोपज हर्रा इकाई के लिये अधिसूचित मात्रा 500 क्विंटल, संग्रहीत तथा क्रेता को प्रदत्त मात्रा 450 क्विंटल।

क्रेता द्वारा प्रति क्विंटल विक्रय दर रु. 100/- प्र. क्विंटल।

क्रेता को परिदान होने तक का व्यय 25/- प्रति क्विंटल।

शासन को हानि - 50 × 75 = 3750/- रुपये।

(ग) यह हानि भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(ग) (एक) किसी विशिष्ट इकाई के लिये इस प्रकार नियुक्त किया गया अभिकर्त्ता, करार पर हस्ताक्षर करने के पूर्व, करार के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार एवं अधिनियम तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, अभिकरण के उचित निष्पादन तथा सम्पादन के लिये प्रतिभूति के रूप में ऐसी निम्नतम राशि जमा करेगा, जो अभिकरण सूचना में विनिर्दिष्ट की जायेगी। प्रतिभूति की उपरोक्त रकम जमा करने में अभिकर्त्ता के असमर्थ रहने के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा कि उसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में इस प्रकार जमा कराई रकम, इन नियमों तथा करार के प्रयोजनों के लिए, उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए होगी मानों ऐसी रकम स्वयं अभिकर्त्ता द्वारा ही जमा की गई है।

(दो) यह प्रतिभूति निक्षेप या तो नगदी में या ऐसे वचन पत्रों (Promisory notes) के रूप में होगा जिसका कि इस प्रयोजन के लिये मूल्यांकन, बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत कम कर दिया जायेगा या मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. 2171-545/चार/आर.बी./तारीख 6 सितम्बर 1962 के अनुसार शिड्यूल्ड बैंकों की गारण्टी या हेड पोस्ट मास्टर की मन्जूरी से सम्बन्धित खण्डीय वन आफिसर को अन्तरित किये गये अभ्यर्पण मूल्य पर डाकखाने के कैश सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट, दस वर्षीय ट्रेजरी सेविंग्ज डिपाजिट सर्टिफिकेट, बारह वर्षीय नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट के रूप में सम्बन्धित खण्डीय वन आफिसर क नाम में राजस्व निक्षेप की शक्ल में होगा।(तीन) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या अंशतः खण्डीय वन आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज के कम संग्रह के लिये शास्ति, प्रतिकर, नुकसान और किन्हीं भी अन्य शोध्यों की, जो कि इन नियमों तथा अधिनियमों के उपबन्ध के अधीन वसूल योग्य हों, वसूली यदि कोई हो, के प्रति समायोजित की जावेगी और यदि खंडीय वन आफिसर द्वारा लिखित में आदेश दिया जाये, तो अभिकर्त्ता द्वारा ऐसी समस्त कटौतियों की पूर्ति, उस आशय की सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जायेगी।

(चार) यदि वसूल किये जाने वाले सोध्य प्रतिभूति, निक्षेप की रकम से अधिक हों तो अधिक होने वाली रकम जब तक कि उसकी पूति खण्डीय वन आफिसर की उस आशय की सूना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर जमा न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल योग्य होगी।

(पाँच) यथास्थिति, प्रतिभूति निक्षेय या शेष रकम खंडीय वन आफिसर का यह समाधान हो जाने पर कि अभिकर्ता की ओर से करार के निबन्धनों तथा नियमों तथा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समस्त आभारों तथा औपचारिकताओं का सम्यक्रूप से पालन किया जा चुका है और यह भी कि उसके ऊपर कोई

बकाया नहीं है, अभिकर्त्ता केा या ऐसे व्यक्ति को जिसने कि अभिकर्त्ता की ओर से उसक निक्षेप किया है, लौटा दी जायेगी।

(छः) ऊपर वर्णित प्रतिभूति निक्षेप के अतिरिक्त अभिकर्त्ता, व्यक्तिगत शोध्य क्षमता का प्रमाण-पत्र या ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाले स्वतन्त्र प्रतिभू का प्रतिभूति बन्धनामा, उस सीमा तक, जो अभिकरण सूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, प्रस्तत करेगा।

(10) (एक) खंडीय वन आफिसर द्वारा, जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया जाये, अभिकर्त्ता, विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड (दो) की मद (ख) तथा मद (ग) में वर्णित व्यक्तियों से करेगा और वह सरकारी भूमि से विनिर्दिष्ट वन उपज का संग्रह उसके द्वारा खोले गये या खंडीय वन आफिसर के आदेश से खोले जाने वाले डिपो या डिपोज पर, अधिनियम, करार तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार करेगा। खण्डीय वन आफिसर समय-समय पर उसे इस सम्बन्ध में ऐसे समुचित निर्देश दे सकेगा जो अधिनियम, नियमों तथा करार के उपबन्धों से असंगत न हो।

(दो) अभिकर्त्त विनिर्दिष्ट वन उपज की ऐसी क्वालिटी का संग्रह करेगा जो कि उपयोग या विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग या व्यापार के लिये उचित हों और जो अभिकरण सूचना में वर्णित हो। उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त अभिकर्ता, यदि ऐसा अपेक्षित किया जाये, तो इस विषय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार इकाई के भीतर ऐसा अन्य कार्य भी करेगा, जो कि विनिर्दिष्ट वन उपज के व्यापार के लिये आवश्यक तथा उससे सम्बद्ध हो।

(11) अभिकर्त्ता क्रय की गई तथा संग्रहीत विनिर्दिष्ट वन उपज की सुरक्षित अभिरक्षा (Safe custody) तथा भंडारकरण (Storage) के लिए उत्तरदायी होगा। उसकी क्वालिटी को उस समय तक, जब तक कि उसकी अभिरक्षा का सम्पूर्ण स्टाक ऐसे आफिसर या व्यक्ति को, जो कि निर्देशित किया जावे, तथा ऐसी रीति में, जो कि करार में विहित की गई है, परिदत्त न कर दिया जावे, किसी भी क्षय को रोकने के लिये समस्त आवश्यक पूर्वावधानियाँ बरतेगा। अभिकर्त्ता अपनी रक्षा के दौरान मात्रा की किसी कमी या क्वालिटी के क्षय के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और राज्य सरकार द्वारा इस कारण उठाई गई, और उसके द्वारा निर्धारित की गई किसी भी हानि की पूर्ति अभिकर्त्ता द्वारा की जायेगी।

(12) अभिकर्ता राज्य शासन को छोड़कर, अन्य वन उपज उगाने वाले से विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय, उन दरों पर, नकद भुगतान करके करेगा जो कि ऐसे क्रय के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो और उन मजदूरों को, जिन्होंने सरकारी वनों और भूमियों से विनिर्दिष्ट वन उपज संग्रहीत की हो, वन उपज की प्राप्ति पर, संग्रहण प्रभार के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित पदों से नकदी या वस्तु विनिमय के माध्यम से किसी वस्तु के रूप में जैसा कि मजदूरों द्वारा चाहा जाये, तत्क्षण भुगतान करेगा।

(13) अभिकर्त्ता ऐसा लेखा रखेगा, तथा ऐसी नियतकालिक विवरणियाँ, जो कि खंडीय वन आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य आफिसर को प्रस्तुत करेगा।

(14) पूर्ववर्ती उपबन्धों की किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह अभिकर्त्ता को उस इकाई में, जिसके कि लिये वह अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया है, विनिर्दिष्ट वनोपज के क्रय तथा संग्रह का अनन्य अधिकार (Exclusive right) प्रदान करती है, और राज्य सरकार को उस इकाई में या तो स्वयं या उसके द्वारा उस सम्बन्ध में लिखित प्राधिकृत आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट वनोपज के क्रय तथा संग्रह का अधिकार होगा और उस सीमा तक अभिकर्ता का दायित्व कम कर दिया जावेगा।

(15) अभिकर्त्ता, उसके द्वारा इकाई के भीतर नियोजित किये गये व्यक्तियों को खंडीय वन आफिसर द्वारा अनुमोदित, एक परिपत्र (Identity Card) या अन्य साधन, जिसे सरलता से पहिचाना जा सके, देगा।

4. विनिर्दिष्ट वन उपज के वास्तवित उपयोग या उपभोग या निस्तार के लिये परिवहन - (1) कोई भी व्यक्ति व्यक्तिशः (Individually) धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज को ऐसे उपज का क्रय स्थान से ऐसे स्थान को, जहाँ कि ऐसी उपज उसके (व्यक्ति के) वास्तविक उपयोग या उपभोग के लिये आपेक्षित हो, एक बार में निम्नलिखित मात्रा में परिवहन कर सकेगा, अर्थात

	विनिर्दिष्ट वन उपज (1)		मात्रा (2)
(एक)	कुल्लू गोंद		एक सौ ग्राम
(दो)	(धावड़ा गोंद, खैर गोंद, बबूल गोंद, सलई रेजिन		एक किला ग्राम
(तीन)	महुआ के फूल	नगर निगम या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर परिवहन हेतु	पाँच किलो ग्राम
(चार)		नगरपालिका या नगर निगम की सीमाओं के बाहर परिवहन हेतु	पचहत्तर किलो ग्राम
(पाँच)	महुआ बीज		[1]पचास किलो ग्राम
(छः)	हर्रा		पाँच किलो ग्राम
(सात)	कचरिया		एक किलो ग्राम
	साल के बीज		[2]पाँच किलो ग्राम

(2) किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में किसी वन में निस्तार का अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति, धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन ऐसी उपज का अपने घरेलू उपयोग या उपभोग के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट मात्रा परिवहन कर सकेगा।

5. परिवहन अनुज्ञा-पत्र - (1) धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख) तथा (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट वन उपज का परिवहन निम्नलिखित प्रकार के अनुज्ञा-पत्रों द्वारा विनियमित होगा और जो उसमें से प्रत्येक के सामने वर्णित प्राधिकारियों द्वारा जारी किये जावेंगे।

	परिवहन के प्रकार (1)	अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला अधिकारी (2)
(एक)	संग्रह डिपो से भंडार गोदाम तक परिवहन हेतु (पी/1)	खण्डीय वन आफिसर या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई आफिसर या व्यक्ति।
(दो)	राज्य के बाहर परिवहन हेतु पी/2	खण्डीय वन आफिसर [3]या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी
(तीन)	मद (एक) या (दो) में वर्णित के (अतिरिक्त और राज्य के भीतर परिवहन हेतु (पी/3)	खंडीय वन आफिसर या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई आफिसर और/या अनुज्ञप्त विक्रेता, विनिर्दिष्ट की गई मात्रा तथा कालावधि तक।

परन्तु खंडीय वन आफिसर, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के लिये प्राधिकृत आफिसर अथवा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, तो वह ऐसा प्राधिकरण तुरन्त रद्द कर देगा।

---

1. म.प्र. वन विभाग अधि. क्र. 1458-2088-10-3-71 राजपत्र पृष्ठ 1912 पर प्रकाशित के अनुसार पाँच से पचास कि. ग्रा. किया।
2. म.प्र. वन विभाग अधि. क्र. 31-1-75-111-1 दस दि. 31-5-1976 द्वारा संशोधित।

(2) पूर्वोक्त प्रकारों में किसी भी प्रकार का परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिय आवेदन प्रारूप 'ग' में होगा, और यथास्थिति, खंडीय वन आफिसर या प्राधिकृत आफिसर या व्यक्ति को प्रस्तुत किया जायेगा :

परन्तु खंडीय वन आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई आफिसर, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि विनिर्दिष्ट वन उपज, जिसके कि सम्बन्ध में आवेदन दिया गया है, अवैध रूप में प्राप्त की गई है या अनुचित रूप से संग्रहीत की गई है तो आवेदक को सुनवाई का ऐसा अवसर देने के पश्चात्, जैसा कि वह परिस्थिति में उचित समझे, लिखित में आदेश द्वारा ऐसा आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर सकेगा।

(3) समस्त प्रकार के अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगे -

(क) विनिर्दिष्ट वनोपज के प्रत्येक प्रेषण (Consignment) किसी भी परिवहन साधन द्वारा ले जाते समय, सम्बन्धित प्रकार का परिवहन अनुज्ञा-पत्र उसके साथ होगा।

(ख) विनिर्दिष्ट वन उपज का परिवहन, केवल उस मार्ग द्वारा ही किया जायेगा जो अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट हो और जाँच पड़ताल के लिये उन्हें ऐसे स्थान या स्थानों पर पेश किया जायेगा जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया/किए जाये।

(ग) खंडीय वन आफिसर या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये आफिसर की लिखित अनुज्ञा के बिना, सूर्यास्त के पश्चात या सूर्यास्त के पूर्व किसी भी समय विनिर्दिष्ट वन उपज का परिवहन नहीं किया जायेगा।

(घ) अनुज्ञा-पत्र ऐसी कालावधि के लिए विधिमान्य होगा जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाये।

(ङ) परिवहन अनुज्ञा-पत्र ऐसी अनुज्ञा जारी करने वाले या उससे उच्च श्रेणी के आफिसर द्वारा रद्द किये जो योग्य होगा, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसक दुरुपयोग किया गया है, या किये जाने की सम्भावना है।

(च) समस्त परिवहन अनुज्ञा-पत्र, विनिर्दिष्ट वन उपज के परिवहन करने के पश्चात, या उसमें दी गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात, जो भी पूर्ववर्ती हो, पन्द्रह दिन के अन्दर सामीपस्थ वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) के पद के या उससे उच्च पद के वन आफिसर को, अभिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्वापस कर दिये जावेंगे।

6. विनिर्दिष्ट वन उपज के उगाने वाले का रजिस्ट्रीकरण - (1) राज्य सरकार को छोड़कर विनिर्दिष्ट वन उपज का प्रत्येक उगाने वाला, यदि उसके द्वारा उगाई गई विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा नीचे विनिर्दिष्ट की गई मात्रा से बढ़ने की सम्भावना हो तो स्वयं को धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करायेगा -

	विनिर्दिष्ट वन उपज	मात्रा
1.	सलाई रेजन (Salai Rasin) या चीड़ गोंद,	एक किलोग्राम
2.	कुल्लू गोंद, धावड़ा गोंद, खैर गोंद, बबूल गोंद,	दो क्विंटल
3.	महुआ फूल	एक क्विंटल
4.	हर्रा	दो क्विंटल
5.	कचरी	पचास किलोग्राम
[1]6.	साल बीज	पचास किलोग्राम

1. अधिसूचना क्र. F/31-1-75-III-I/X दि. 31-5-75 पृष्ठ 1459 पर प्रकाशित द्वारा जोड़ी गई।

(2) विनिर्दिष्ट वन उपज के उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्रारूप 'घ' में होगा और रेन्ज आफिसर के, जिसकी अधिकारिता के भीतर उगाने वाले की भूमि, जिस पर कि विनिर्दिष्ट वन उपज के पौधे उगते हों, स्थित है, समक्ष भरा जायेगा। रेन्ज आफिसर सम्यक्सत्यापन के पश्चात, आवेदन पत्र को तीस दिन के भीतर, उस खण्डीय वन आफिसर या वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में पदस्थ संलग्न अधिकारी के समक्ष, जिसे वन मण्डलाधिकारी ने इस विषय में प्राधिकृत किया हो, केा अग्रषित करेगा जो ऐसी जाँच करने के पश्चात, जैसा कि वह आवश्यक समझे, प्रारूप 'ङ' में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र मन्जूर कर सकेगा या आवेदन-पत्र को उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात्नामंजूर कर सकेगा।

(3) एक बार जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र उस समय तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि वह उप-खंडीय वन आफिसर या वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में पदस्थ संलग्न अधिकारी, जिसको कि वन मण्डलाधिकारी ने इस विषय में प्राधिकृत किया गया हो, के द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से रद्द या रूपभेदित (modified) न किया जाये या उस समय तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि आवेदक उस भूमि को, जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया गया है, दखल में रखता हो, उनमें से जो पूर्वतर हो।

(4) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाये या विकृत हो जाये उसकी (प्रमाण-पत्र की) प्रमाणित प्रतिलिपि एक रूपया चुकाने पर उप-खंडीय आफिसर, या वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में पदस्थ संलग्न अधिकारी, जिसे वनमण्डलाधिकारी द्वारा इस विषय में प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त की जा सकेगी।

(5) विनिर्दिष्ट वन उपज का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को सम्बन्धित रेन्ज आफिसर से प्रारूप 'च' में एक लेखा पर्ची प्राप्त करेगा और उक्त लेखा पर्ची, विनिर्दिष्ट वन उपज को बिक्री के लिये प्रस्तुत करते समय डिपो में पेश की जायेगी और उगाने वाले की ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज क्रय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, उसके द्वारा क्रय की गई विनिर्दिष्ट उपज की मात्रा की प्रविष्टि उक्त पर्ची में करेगा।

(6) विनिर्दिष्ट वन उपज का ऐसा प्रत्येक उगाने वाला जो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र धारण करता हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र मन्जूर करने वाले आफिसर द्वारा विहित रूप में उसके दर्शाई जाने वाली तारीख को प्रस्तुत करेगा। विहित तारीख तक उपरोक्त लेखा प्रेषित न किये जाने की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

7. अस्वीकृत विनिर्दिष्ट वन उपज के बारे में जाँच की प्रक्रिया - (1) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करने वाला आफिसर, यथा-सम्भव शीघ्र, सम्बन्धित पक्ष या पक्षों को जाँच करने के लिए नियत किये गये स्थान, तारीख तथा समय पर प्रज्ञापित (Intimate) करेगा।

(2) नियम तारीख पर या किसी पश्चात्वर्ती तारीख (Subsequent date) पर जिसके लिये जाँच स्थागित की जावे, ऐसा आफिसर इन पक्षों या उसके सम्यक्रूप से प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधियों की, जो कि उसके समक्ष उपस्थित हों, सुनवाई करने के पश्चात्तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, धारा 9 की उपधारा (3) या (4) के अनुसार आदेश पारित करेगा, जैसे कि वह उचित समझे।

(3) यदि पक्षकार या पक्षकारगण, जैसी भी स्थिति हो, या तो स्वयं, या अपने सम्यक्रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के मार्फत उपस्थित न हों, जो जाँच आफिसर, ऐसी जाँच करने के पश्चात्जैसी वह आवश्यक समझे, एकपक्षीय (exparte) निर्णय करेगा :

परन्तु यदि जाँच आफिसर का समाधान हो जाये कि पक्षकार या पक्षकारगण के उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था, तो वह ऐसी और जाँच करने के पश्चात्जैसी वह उचित समझे, एकपीक्षीय आदेश को निष्प्रभावी करते हुए, यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

(4) कोई भी प्रतिकर, जिसके चुकाये जाने का आदेश जाँच के परिणामस्वरूप दिया गया हो, या कोई भी संग्रहण सम्बन्धी प्रभार, जिसके चुकाये जाने के लिये धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया गया हो, सम्बन्धित पक्ष को संसूचित किये जाने से, एक मास के भीतर, चुकाया जायेगा।

8. विनिर्दिष्ट वन उपज के विनिर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण - (1) प्रत्येक विनिर्माता जो विनिर्दिष्ट वन उपज का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा प्रत्येक व्यापारी या उपभोक्ता जिसका यथास्थिति वार्षिक उपयोग, आवश्यकता, या उपभोग नीचे दी गई अनुसूची में दी गई मात्रा से अधिक हो, विनिर्दिष्ट वन उपज के, अपने स्टाक की घोषणा प्रारूप (छ) में करेगा और नीचे दी गई अनुसूचि में विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस का संदार करने के पश्चात्इसमें इसके पश्चात्उपबन्धित रीति में, प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये, स्वयं पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत करावेगा।

वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस की तथा उस मात्रा की जिससे अधिक के लिये रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होगा

विनिर्दिष्ट वनोपज	फीस		मात्रा	
	व्यापारी	उपभोक्ता	व्यापारी	उपभोक्ता
(1)	(2)		(3)	
1. कुल्लू का गोंद	100/- रुपये	5/- रुपये	1 कि.ग्रा.	1 कि.ग्रा.
2. धावड़ा गोंद	50/- रुपये	5/- रुपये	1 कि.ग्रा.	5 कि.ग्रा.
3. सालई रेजिन चिड़गोंद	50/- रुपये	5/- रुपये	1 कि.ग्रा.	5 कि.ग्रा.
4. खैर; बबूल का गोंद	200/- रुपये	5/- रुपये	1 कि.ग्रा.	5 कि.ग्रा.
5. महुआ फूल	100/- रुपये	5/- रुपये	1 कि.ग्रा.	20 कि.ग्रा.
6. महुआ बीज	100/- रुपये	[1]5/- रुपये	1 कि.ग्रा.	15 कि.ग्रा.
7. हर्रा तथा कचरिया	50/- रुपये	5/- रुपये	1 कि.ग्रा.	5 कि.ग्रा.

[2]8. साल बीज	100/- रुपये	[2]लुप्त	1 कि.ग्रा.	[2]लुप्त

(2) धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रारूप 'ज' में होगा और खंडीय वन आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर, विनिर्दिष्ट वन उपज का विनिर्माता व्यापारी या उपभोक्ता निवास करता हो, या उसके कारबार का मुख्य स्थान स्थित हो। यदि विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता, मध्य प्रदेश राज्य के बाहर निवास करता हो, तो वह अपना आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के किसी भी खंडीय वन आफिसर को प्रस्तुत कर सकेगा। वार्षिक रजिस्ट्रीकरण की फीस अग्रिम में जमा की जावेगी और इस साक्ष्य की, कि रकम जमा कर दी गई है, प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकरण के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

---

(1) (2) म.प्र. शासन, वन विभाग अधि. क्र. 1-1-75-III-I-X-दि. 31-5-76 से संशोधित।

खंडीय वन आफिसर या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया कोई आफिसर, ऐसी जाँच करने के पश्चात, जैसी कि वह आवश्यक समझे, प्रारूप 'झ' में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकेगा या आवेदन-पत्र को, उसके लिये कारण अभिलिखित करने के पश्चात्अस्वीकृत कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण उस कैलेन्डर वर्ष के लिये विधिमान्य होगा जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(4) विनिर्दिष्ट वन उपज का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी तथा उपभोक्ता, विनिर्दिष्ट वन उपज के लेखाओं का रजिस्टर रखेगा, और इन लेखाओं की विवरणी, वह खंडीय वन आफिसर को ऐसे प्रारूप में समय-समय पर प्रस्तुत करेगा जो कि आफिसर द्वारा विहित किये जायें।

(5) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाये या विक्रत हो जाये तो उस प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि खंडीय वन आफिसर को प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिये रुपये पाँच चुकाने पर प्राप्त की जा सकेगी।

(6) ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज के ऐसे निर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जिसने कि अधिनियम, इन नियमों या राज्य के साथ किये गये करार की शर्तों को भंग किया हो, जिसके परिणामस्वरूप या तो उसे अधिनियम की धारा 16 के अधीन दण्डित किया गया हो, या उसका करार पर्यवसित (terminated) कर दिया गया हो, खंडीय वन आफिसर द्वारा रद्द (Cancelled) किये जाने के दायित्वाधीन होगा और, यथास्थिति, ऐसे विनिर्माता व्यापारी या उपभोक्ता का, ऐसी और कालावधि के लिये, जो कि तीन वर्ष तक हो सकती है, रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत किया जा सकेगा :

परन्तु यदि सम्बन्धित विनिर्दिष्ट वन उपज का विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता, उपरोक्त आदेश से व्यथित हो, तो वह आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, क्षेत्रीय वन संरक्षक को, अपील कर सकेगा :

परन्तु, यह और भी, कि क्षेत्रीय वन संरक्षक, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से पूर्ववर्ती परन्तुक की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्अपील ग्रहण कर सकेगा।

9. विक्रय प्रमाण-पत्र - राज्य सरकार, या उसका आफिसर या अभिकर्ता जो क्रेता को विनिर्दिष्ट वन उपज का विक्रय या परिदान करता है, उसे पारूप 'ञ' में विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से, जो कि यह दावा करे कि उसने धारा 12 के अधीन राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय किया है, किसी पुलिस या वन आफिसर द्वारा माँग किये जाने पर अपने दावे के समर्थन में ऐसा प्रमाण-पत्र पेश करेगा, जिसके पेश वन करने की दशा में उसका दावा प्रतिग्रहीत नहीं किया जावेगा और ऐसा स्टाक जिसके सम्बन्ध में उसके राज्य सरकार से क्रय किये जाने का दावा किया है, यदि विक्रय प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित न हो तो वह राज्य सरकार की सम्पत्ति समझी जायेगी और पुलिस या वन आफिसर द्वारा उसे कब्जे में लिया जा सकेगा :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति, खंडीय वन आफिसर के समक्ष, राज्य सरकार से ऐसा स्टाक क्रय किये जाने के सम्बन्ध में, पुलिस या वन आफिसर द्वारा ऐसी उपज को कब्जे में लेने के पन्द्रह दिन के अन्दर, साक्ष्य प्रस्तुत करे तो वह स्टाक खंडीय वन आफिसर द्वारा छोड़ दिया जावेगा।

10. विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिये अनुज्ञप्ति की मन्जूरी - (1) कोई ऐसा व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के कार्य में अपने को लगाने का इच्छुक हो इसमें इसके पश्चात्उपबन्धित रीति में अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

(2) धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन प्रारूप "ट" में होगा, जो प्रत्येक प्रारूप के लिये, एक रुपये की देनगी पर खंडीय वन आफिसर के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये पृथक् आवेदन पत्र आपेक्षित होगा।

(3) आवेदन-पत्र, खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा जो ऐसी जाँच कराने के पश्चात, जैसी कि वह उचित समझे या तो आवेदन-पत्र को उसके लिये कारण अभिलिखित करने के पश्चात्अस्वीकृत कर सकेगा या आवेदक को इन नियमों के अधीन, विहित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस जमा करने के लिये निर्देश दे सकेगा।

(4) वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस, आवेदन द्वारा कैलेन्डर वर्ष के दौरान, व्यापार किए जाने के लिये अपेक्षित विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा पर आधारित विसर्पीमान (Sliding scale) से सूची में दी गई तालिका के अनुसार होगी।

महुआ के फूल (मात्रा क्विंटल में)	महुआ के बीज (मात्रा क्विंटल में)	हर्रा, कचरिया (मात्रा क्विंटल में)
(1)	(2)	(3)
100 क्विंटल तक	50 क्विंटल तक	100 क्विंटल तक
500 क्विंटल तक	250 क्विंटल तक	500 क्विंटल तक
1000 क्विंटल तक	500 क्विंटल तक	1000 क्विंटल तक
1000 क्विंटल से अधिक	500 क्विंटल से अधिक	1000 क्विंटल से अधिक

कुल्लू, खैर, धावड़ा, बबूल गोंद व सालई रेजिन (मात्रा क्विंटल में)	[1]साल (मात्रा क्विंटल में)	वार्षिक अनुज्ञप्ति (फीस रुपये में)
(4)	(5)	(6)
50 क्विंटल तक	50 क्विंटल तक	5/- रुपये
250 क्विंटल तक	250 क्विंटल तक	10/- रुपये
500 क्विंटल तक	500 क्विंटल तक	15/- रुपये
500 क्विंटल से अधिक	500 क्विंटल से अधिक	100/- रुपये

(5) आवेदक खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक द्वारा निर्देशित किए अनुसार वार्षिक फीस भेजेगा और ऐसे आदेश पारित किए जाने के सात दिवस के भीतर यह साक्ष्य, कि रकम जमा कर दी है, पेश करेगा।

(6) वार्षिक फीस की रकम जमा किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य पेश करने पर खंडीय वन आफिसर या उसका राजपत्रित सहायक प्रारूप "ठ" में अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा। एक या अधिक विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये एक अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी।

(7) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट वन उपज के लेखाओं का रजिस्टर रखेगा और सम्बन्धित रेन्ज आफिसर को स्टाक की विविरणी ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीखों को, जो कि वन संरक्षक, वन उपज भोपाल द्वारा विहित की जाये, प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि अनुज्ञप्ति गुम हो जाये या विकृत हो जाये तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक से प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिये पाँच रूपये चुकाने पर प्राप्त की जा सकेगी।

(9) विनिर्दिष्ट वन उपज के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति, जिसने कि अधिनियम, इन नियमों या राज्य सरकार के साथ किये गये करार की शर्तों को भंग किया हो, जिसके परिणामस्वरूप उसको धारा 16 के अन्तर्गत दण्डिय किया गया हो या उसका करार पर्यवसत (Terminate) कर दिया गया हो, खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक द्वारा रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी और ऐसे व्यक्ति को, ऐसी और कालावधि के लिये जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, अनुज्ञप्ति अस्वीकृत की जा सकेगी :

परन्तु यदि सम्बन्धित विनिर्दिष्ट वन उपज का अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त आदेश से व्यथित हो, तो वह राजपत्रित सहायक द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की दशा में खण्डीय वन आफिसर को तथा खंडीय वन आफिसर द्वारा रद्द किये जाने की दशा में क्षेत्रीय वन संरक्षक को, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि ऐसा अपीलीय प्राधिकारी, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, कालावधि की समाप्ति के पश्चात्भी अपील को ग्रहण कर सकेगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, फुटकर विक्रय के लिये आपेक्षित विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा का क्रय, सरकार से या उसके प्राधिकृत आफिसर से या अभिकर्ता से किया जायेगा।

(11) अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट वन उपज की पृथक्-पृथक् व्यक्तियों को फुटकर में नीचे विनिर्दिष्ट की गई मात्रा तक विक्रय करेगा :

---

1. मध्य प्रदेश वन विभाग अधि. क्र. फा./31-1-75-III-TI-X दिनांक 31-5-76 (राजपत्र दिनांक 31-5-76 से साल बीज जोड़ा गया।

विनिर्दिष्ट वन उपज	मात्रा	रिमार्क
1. कुल्लू गोंद	एक सौ ग्राम	
2. धावड़ा, खैर, बबूल का गोंद या सलाई रेजिन (चीड़ का गोंद)	एक किलोग्राम	
3. महुआ के फूल	पाँच किलोग्राम	नगर पालिका या नगर की सीमा के भीतर परिवहन।
		नगरपालिका या नगर निगम की सीमा के बाहर परिवहन हेतु।
4. महुआ बीज	पचहत्तर किलोग्राम	
5. हर्रा कचरिया	पाँच किलोग्राम	
[1]6. साल बीज	पाँच किलोग्राम	
	पाँच किलोग्राम	

प्रारूप "क"

(नियम 3(2) देखिये)

अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का तथा उसके पिता का पूरा नाम .....(फर्म के मामले में फर्म के भागीदारों तथा और मुख्यतारनामा धारण करने वालों के नाम)
2. वृत्ति .....
3. पूरा पता .....
4. कारबार का/के स्थान .....
5. विनिर्दिष्ट वन उपज का पूर्व अनुभव यदि कोई ..... हो तथा संकार्य का/के क्षेत्र।
6. विनिर्दिष्ट वन उपज की वह मात्रा जो गत तीन : ..... वर्ष के दौरान एकत्रित की गई हो और जिसकाव्यवसाय किया हो। प्रत्येक वर्ष संकार्य क्षेत्र प्रत्येकविनिर्दिष्ट वनोपज के लिए अलग-अलग दर्शायें।
7. निजी सम्पत्ति के ब्यौरे .....
8. वह इकाई जिसके अभिकरण के लिये आवेदन किया है .....
9. वह विनिर्दिष्ट वन उपज जिसके लिये अभिकरण किया है .....
10. दस रुपये आवेदन-फीस चुकाने का साक्ष्य .....

11. पाँच रुपये अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप के संदाय का साक्ष्य .....

12. नियम 3(5) के अनुसरण में व्यक्तिगत शोधक्षमता का ..... प्रमाण-पत्र या प्रतिभू।

घोषणा

मैं/हम ..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये अधिनियम नियमों के उपबन्धों को तथा सूचना में वर्णित की गई अधिकरण की शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूँ/करते हैं। मैने/हमने इकाई क्र. ..... का स्वयं निरीक्षण किया है। यदि मुझे/हमें वर्णित इकाई के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर दिया जाये तो मैं/हम वन उपज की वह मात्रा जो कि ..... से कम नहीं होगी, विनिर्दिष्ट उपज के उगाने वालों से क्रय करने तथा सरकारी भूमि से संग्रहीत करने और परिदत्त करने, दोनों का भार अपने ऊपर लेता हूँ/लेते हैं, मैं/हम नियुक्ति आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर, नियमों के अधीन विहित किये गये प्रारूप में मध्य प्रदेश शासन के साथ करार निष्पादित करूँगा/करेंगे तथा ऐसा करने की चूक करने पर मेरे/हमारा प्रतिभूति निक्षेप अधिहरित किया जा सकेगा और मेरी/हमारी नियुक्ति रद्द होने के परिणाम स्वरूप शासन द्वारा उठाई गई हानि, यदि कोई हो, भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी। और ऐसी हानि, नियम 3 के उपनियम (8) के अधीन विहित रीति से संगणित की जायेगी।[1]

.....अभिकर्ता के हस्ताक्षर

---

1. म.प्र. शासन की अधिसूचना क्र. 2017/3079/दस/3-1-74 जो 17-5-75 के राजपत्र में पृष्ठ 1258 पर प्रकाशित हुई के अनुसार संशोधित।

प्रारूप "ख"

(नियम 3(8) देखिये)

अभिकर्त्ता का करारनामा

यह करार आज तारीख ..... माह ..... सन्..... प्रथम पक्ष ..... के मार्फत कार्य करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्राज्यपाल कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत उसके पद मे उत्तरवर्ती आते हैं) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स ..... आत्मज ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्अभिकर्त्ता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत उनके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, तथा समनुदेशिती आते हैं) के मध्य किया जाता है।

चूँकि वनिर्दिष्ट वन उपज का व्यापार मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9, वर्ष 1969), तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया गया है, और चूँकि उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन विभिन्न इकाइयों में इस प्रयोजन के लिये अभिकर्त्ताओं की नियुक्तियाँ किया जाना है,

और चूँकि राज्यपाल, अभिकर्त्ता की प्रार्थना पर उसे, इसके पश्चात्दिये गये निबन्धनों एवं शर्तों पर ..... वन खण्ड में इकाई क्रमांक ..... के लिए अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत हो गया है -

अतएव यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है तथा इससे सम्बन्धित पक्ष, एतद्द्वारा, निम्नानुसार परस्पर करार करते हैं -

(1) राज्यपाल एतद्द्वारा, श्री/मेसर्स ..... को इसमें वर्णित प्रयोजनों के लिये ..... वनखण्ड की इकाई क्रमांक ..... में, जो कि अधिक विशिष्ट रूप से अनुसूची "क" में वर्णित की गई है तथा उससे उपाबद्ध मानचित्र में दर्शाई है विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के सम्बन्ध में अपने अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करते हैं।

(2) यह करार तारीख ..... से ..... तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि वह राज्यपाल द्वज़रा इन प्रलेखों के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार उसके पूर्व में ही पर्यवसित न कर दिया जाये।

(3) मध्य प्रदेश उपज (व्यापार विनियम) नियम, 1969 के (जो इसमें इसके पश्चात्उक्त नियमों के नाम से निर्दिष्ट है) उपबन्ध इन प्रलेखों के भाग होंगे और उनके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वे इन प्रलेखों में विनिर्दिष्ट समाविष्ट हो चुके हैं।

(4) अभिकर्त्ता को इकाई में विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के संग्रहण तथा परिदान की व्यवस्था करने हेतु अभिकरण कालावधि की समाप्ति पर उसमें इसके नीचे दी गई किस्तों में पूर्ण पारिश्रमिक चुकाया जायेगा।

दिनांक को या उसके पश्चात	मात्रा के संग्रहण तथा परिदान के पश्चात	देय रकम
(1)	(2)	(3)

परन्तु-

(एक) अभिकर्त्ता विनिर्दिष्ट वनोपज ..... की ऐसी मात्रा के लिये जो ..... वन उपज ..... के प्रति ..... रुपये ..... विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के प्रति..... के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा : और

(दो) अभिकर्त्ता ..... से कम पड़ने वाली विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के लिए ..... रुपये प्रति ..... की दर से संगणित की गई रकम उसके पारिश्रमिक में से काटे जो के दायित्वाधीन होगी।

(5) अभिकर्त्ता एतद्द्वारा राज्यपाल के साथ निम्नानुसार अभिव्यक्तिरूपेण प्रसंविदा करता है -

(एक) वह विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के सम्बन्ध में उसके द्वारा किए गये समस्त संव्यवहारों में राज्यपाल के लिये तथा उसकी ओर से कार्य करेगा। समस्त मूल्य तथा व्यय, जिन्हें कि, यथास्थिति, स्वच्छन्नकरण, भण्डारकरण, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, परिवहन, बोरों में भरने तथा हस्तान्तरण होने के मद्दे पूरा करने का उपगत करने की, इस लेख के अधीन उससे अपेक्षा की जाती है, अनुसूचि "ख" में विनिर्दिष्ट की गई दरों से अधिक नहीं होंगे। उपर्युक्त मूल्य तथा व्ययों के लिए जिनके अन्तर्गत वे खर्चे तथा व्यय आते हैं, जिसका नीचे के खण्ड (चार) (पाँच) के अधीन किया जाना आपेक्षित हो, किन्तु जो कि उसके ओर से होने वाली उपेक्षा या अवचार के लिये शास्ति की भरपाई के लिये न होकर अन्यथा हो, उसके द्वारा अपने अधिकार में रखे गये प्रारम्भिक अग्रदाय धन में से पूर्ति की जायेगी तथा इस करार के निबन्धनों के अनुसार उसके द्वारा तत्पश्चात्प्राप्त की गई रकमें और उसके द्वारा राज्यपाल के लिये तथा उसकी ओर से इस प्रकार किये गये समस्त व्यय नियतकालिक या अन्तिम हिसाब लेते समय समायोजित किए जावेंगे।

(दो) वह विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के ऐसे प्रकार की क्वालिटी तथा मात्रा का, जो कि अनुसूचि "ज" में विनिर्दिष्ट की गई है, उगाने वालों से क्रय करेगा, और/या सरकारी भूमियों से संग्रहण करेगा और यदि खंडीय वन आफिसर द्वारा लिखित में दिया जाये तो वह उन्हें सुखाएगा, साफ करेगा, श्रेणीकरण करेगा तथा प्रसंस्करण के पश्चात्बारे में भरेगा, उनका परिवहन करेगा और उन्हें उसके द्वारा निर्मित या भाड़े पर लिए गये संग्रहण गोदाम में संग्रहीत करेगा।

(तीन) अभिकर्त्ता अनुसूचि "ग" में तथा विनिर्दिष्ट रीति में सुखोन, स्वच्छन्न्करण, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, बोरे में भरने तथा संग्रहण का संकार्य इस प्रकार करेगा कि जिससे उक्त उपज उपभोग व निर्माण में कच्चे माल के रूप्में उपयोग या व्यापार के लिये उपयुक्त बनी रहे। यदि

उक्त उपज की उपयोग या कच्चे माल के रूप में उपयोग या व्यापार के प्रयोजन के लिये उपयुक्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो, तो वह मामला खंडीय वन आफिसर को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका कि विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु अभिकर्त्ता ऐसी किसी भी हानि के लिये दायित्वाधीन होगा जो कि सरकार ने उपभोग या निर्माण में कच्चे माल के उपयोग में या ऐसी वन उपज ..... की उपयुक्तता न होने से अस्वीकार कर दिये जाने के कारण उठाई हो और इस प्रकार उठाई गई हानि अभिकर्त्ता से पतिभूति निक्षेप में से वसूल की जाएगी और भूराजस्व के बकाया की भाँति भी वसूली योग्य होगी।

(चार) अभिकर्त्ता उगाने वालों को ऐसा क्रय मूल्य चुकावेगा जो कि अधिनियम की धारा 7 के अधीन सरकार द्वारा नियत किया जाये तथा अनुसूची "घ" में उल्लिखित किया जाय।

(पाँच) वह सरकारी वनों तथा अन्य शासकीय भूमियों से विनिर्दिष्ट वन उपज ..... का संग्रहण करने के लिए लगाये व्यक्तियों को ऐसे संग्रहण सम्बन्धी प्रभार चुकावेगा जो कि राज-पत्र में अधिसूचित तथा अनुसूचि "ड" में उल्लिखित किये गये हों।

(छः) वह विनिर्दिष्ट वन उपज ..... की ऐसी मात्रा का परिदान इस इकाई के लिये नियुक्त "क्रेता" केा या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो कि ..... खण्ड के खण्डीय वन आफिसर द्वारा (जिसे इसमें, इसके पश्चात्उक्त वन आफिसर कहा गया है) समय-समय पर निर्देशित किये जायें, करेगा।

(सात) इस प्रकार क्रय की गई या संग्रहीत की गई विनिर्दिष्ट वन उपज ..... उसके द्वारा सरकार के लिये और उसकी ओर से तब तक रखी जावेगी जब तक कि वह क्रेता या ऐसे व्यक्तियों को, जो कि उक्त वन आफिसर द्वारा निर्देशित किये जायें, परिदत्त न कर दी जाये।

(आठ) इकाई के भीतर ऐसे केन्द्रों में ऐसे संग्रहण सम्बन्धी काष्ठागार (Collection depot) खोलेगा तथा ऐसे संग्रह सम्बन्धी गोदामों का निर्माण करावेगा जिनका कि उक्त वन आफिसर द्वारा निर्देश दिया जाए। अभिकर्त्ता खंडीय वन आफिसर के या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किये गये आफिसर के लिखित आदेश प्राप्त किये बिना खण्ड 5 (दो) में वर्णित शर्तों के अध्यधीन संग्रहण कार्य बन्द नहीं करेगा।

(नौ) वह इस प्रकार क्रय संग्रह की गई विनिर्दिष्ट वन उपज ..... का निकटतम गोदाम तक परिवहन करेगा, इसे पश्चात्वह उसे संग्रह गोदाम से तब तक नहीं हटावेगा जब तक कि उक्त वन आफिसर द्वारा, उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन रहते हुए निर्देश न दिये जायें।

(दस) वह विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के क्रय और संग्रह के लिये सरकार द्वारा अधिसूचित की गई दरों को प्रत्येक केन्द्र पर स्थानीय भाषा में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

(ग्यारह) वह विनिर्दिष्ट वन उपज ..... विनियोग से सम्बन्धित ऐसे समस्त अधिकारों का ध्यान रखेगा जो कि प्रायवेट व्यक्तियों में विधिपूर्वक निहित हो।

(बारह) वह, ऐसे रजिस्टर तथा लेखे ऐसे प्रारूपों में रखेगा जो कि समय-समय पर विहित किये जायें।

(तेरह) वह उक्त वन आफिसर को, या ऐसे अन्य आफिसर को, जो कि उक्त वन आफिसर द्वारा प्राधिकृत किया जाये, ऐसी विवरणियाँ ऐसे अन्तरालों पर प्रस्तुत करेगा जो कि उक्त वन आफिसर द्वारा समय-समय पर निर्देशित किये जावें।

(चौदह) वह उक्त वन आफिसर को तथा ऐसे किसी अन्य आफिसर को जो कि उक्त वन आफिसर द्वारा प्राधिकृत किया जावे, किसी संग्रह केन्द्र तथा भण्डारकरण, गोदाम में रखे स्टाक तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिये समस्त सुविधाएँ देगा।

(पन्द्रह) किसी भी ऐसे नुकसान के लिये उत्तरदायी होगा जो कि सरकार वन में उसके संकार्य के अनुक्रम में, उसकी उपेक्षा का चूक के कारण सरकारी वन को पहुँचे। ऐसे नुकसान के लिये प्रतिकर का निर्धारण उक्त वन आफिसर द्वारा किया जावेगा। उस पर (प्रतिकर के) का विनिश्चय, क्षेत्रीय वन संरक्षक को अपील के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम निश्चायक तथा पक्षकारों को आबद्धकर होगा :

परन्तु नुकसान के लिए कोई भी प्रतिकर अभिकर्त्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्धारित नहीं किया जावेगा।

(सोलह) वह, समस्त समयों पर, तत्समय ऐसे समस्त नियमों, विनियमों, आदेशों का पालन, तथा अनुपालन करेगा जो कि भारतीय वन विधान, 1927 के अधीन बनाये तथा जारी किये गये हों। अभिकर्त्ता के इस बात से अवगत होने की दशा में कि किसी व्यक्ति या किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा पूर्वोक्त नियमों, विनियमों तथा आदेशों में से किसी भी नियम, विनियमन या आदेश का भंग किया गया है, वह ऐसे भंग के तथ्य को रिपोर्ट, निकटतम वन आफिसर को तत्काल करेगा और ऐसे भंग किये जाने से सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों का पता लगाने के लिये अपने पूर्ण प्रयासों का उपयोग करेगा तथा ऐसे व्यक्ति का व्यक्तियों को गिरफ्तार कराने में तथा समुचित प्राधिकारियों द्वारा उन्हें या उसे सिद्धदोष ठहराने में समस्त युक्तियुक्त सहायता, यदि अपेक्षित हो, देगा।

(सत्रह) वह, उक्त अधिनियम, उक्त नियमों द्वारा या उनके अधीन उसके द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्त्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किए गये, किसी कार्य को करने या सम्पादित करने से विरत रहने तथा इस करार के निबन्धनों तथा शर्तों के सम्यक्पालन तथा अनुपालन के लिये प्रतिभूति के रूप में उक्त नियम 3 के उपनियम (9) के अनुसार संगणित की गई वन आफिसर के पक्ष में निक्षिप्त की गई रुपये ..... (रु. .....) की राशि गिरवी रखने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है। अभिकर्त्ता यह और भी करार करता है कि वह ऐसे प्रत्येक कार्य लोप या कार्य के लिये जो उसके स्वयं के द्वारा या उसके द्वारा नियोजित किये गये व्यक्तियों द्वारा उक्त अधिनियम, उक्त नियमों या इस करार के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो, राज्यपाल को पाँच सौ रुपये की राशि चुकावेगा।

(अट्ठारह) यदि वह खण्ड 5 के उपबन्ध (दो) में उपबन्धित किये अनुसार विनिर्दिष्ट वन उपज ..... को क्रय करने, संग्रहीत करने और/या उसकी मात्रा परिदत्त करने में असफल रहे, तो यह समझा जायेगा कि उसने अभिकर्त्ता के रूप में अपने आभारों का भंग किया है और वह ..... रुपये प्रति ..... की दर से प्रतिकर चुकाने के दायित्वाधीन होगा।

(उन्नीस) विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के किसी लाट या किन्हीं लोटों का परिदान करने के पश्चात्, अभिकर्त्ता उस धन का, जो उसे राजयपाल द्वारा क्रय तथा संग्रहण सम्बन्धी प्रभारों की तथा राज्यपाल की ओर से उसके द्वारा भुगतान किये गये समस्त अन्य व्ययों की तथा पारिश्रमिक की पूर्ति के लिये सौंपा गया हो, लेखा प्रस्तुत करेगा और उसे, उसको शोध्य शेष रकम का, यदि कोई हो, संदाय नियमों द्वारा विहित की गई रीति से किया जायेगा। ऐसा करते समय उक्त वन आफिसर, अभिकर्त्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्ऐसी रकम या रकमों को जो इस करार नामे के अनुसार अभिकर्त्ता से वसूली योग्य किसी शास्ति, प्रतिपूर्ति या किसी अन्य खर्चों या व्ययों के मद्दे राज्यपाल को शोध्य हो, काट सकेगा।

(बीस) ऐसे कोई रकम, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के उगाने वाले को प्रतिकर के रूप में चुकाया जाना अभिकर्त्ता द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के अनुचित रूप से अस्वीकार किये जाने के कारण राज्य सरकार से अपेक्षित हो, अभिकर्त्ता श्री ..... से वसूल की जावेगी।

(6) अभिकर्त्ता यह और भी करार करता है - कि वह विनिर्दिष्ट वन उपज ..... की जब कि वह उसके नियंत्रण के अधीन रहे, सुरक्षित अभिरक्षा तथा संग्रहण के लिये उत्तरदायी होगा और इस करार के या तो समय बीत जाने के कारण या अन्यथा, पर्यवसित होने की तारीख तथा उसके द्वारा रखी गई विनिर्दिष्ट वन उपज ..... स्टाक को अग्नि, चोरी आदि से बचाने के लिए आवश्यक पूर्वोपाय भी करेगा।

(7) यदि अभिकर्त्ता करार की शर्तों में से किसी शर्त को भंग करे और यदि ऐसे किसी भंग के कारण करार का पर्यावसित किया जाना प्रस्तावित न किया गया हो, तो ऐसा वन आफिसर, प्रत्येक भंग के लिये, ऐसी शास्ति जो पाँच सौ रुपये से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा यदि शास्ति की रकम दो सौ रुपये से अधिक

हो तो इस आदेश के विरुद्ध अपील क्षेत्रीय वन संरक्षक को होगी, जिसका कि विनिश्चत अन्तिम तथा पक्षकारों को आबद्धकर होगा।

(8) यदि अभिकर्त्ता इस करार के निबन्धनों में से किसी भी निबन्धन के पालन में चूक करे, तो किसी भी अन्य अधिकारों या प्रतिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्यपाल, अपने विकल्पानुसार करार पर्यावसित कर सकेंगे। करार के इस प्रकार पर्यावसित हो जाने पर राज्यपाल -

(क) उक्त खंड 5 (सत्रह) में वर्णित प्रतिभीति निक्षेप समपहरित करने।

(ख) अभिकर्त्ता से, इस करार के वसूली योग्य संभाव्यत: वसूल योग्य शास्ति, प्रतिकर प्रतिपूर्ति खर्च, शोध्य, प्रभार भू-राजस्व के भाँति वसूल करने, और

(ग) तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए अभिकर्त्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने के लिए हकदार होंगे।

(9) इस करार के अधीन अभिकर्त्ता से वसूली योग्य कोई भी राशि उससे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली हकदार होंगे।

अनुसूची क

अनुसूची ख

अनुसूची ग

अनुसूची घ

अनुसूची ङ

जिसके साक्ष्य में इससे सम्बन्धित पक्षों में प्रथम बार ऊपर लिखी तारीख तथा वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपनी-अपनी मुद्रा अंकित कर दी है।

साक्ष्य - मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से

(1) .....

(2) .....

साक्ष्य - अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर

(1) .....

(2) .....

प्रारूप "ग"

(नियम 4(2) देखिये)

परिवहन अनुज्ञा-पत्र की मंजूरी के लिये आवेदन-पत्र

(क) आवेदन का नाम .....

(ख) क्रय की गई विनिर्दिष्ट वनोपज की मात्रा .....

(ग) वह खंड तथा इकाई, जिसमें कि विनिर्दिष्ट .....
वन उपज क्रय की गई।

(घ) वह स्थान या वे स्थान जहां से वन उपज संग्रह.....
की गई। यदि एक से अधि स्थान में संग्रह की गईहो तो प्रत्येक स्थान पर संग्रहीत मात्रा का उल्लेख कीजिए।

(ङ) अपेक्षित अनुज्ञा-पत्र का प्रकार .....

(च) वह मात्रा जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र का अपेक्षित है .....

(छ) कालावधि, जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है .....

(ज) गंतव्य स्थान जहाँ से और जहाँ तक से विनिर्दिष्ट .....
वन उपज का परिवहन किया जाना है।

(झ) परिवहन की रीति .....

(ञ) वे मार्ग जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज ..... परिवहन की जानी है।

(ट) वे स्थान जहां विनिर्दिष्ट वन उपज जाँच ..... पड़ताल के लिए प्रस्तुत की जावेगी।

(ठ) वह स्थान/वे स्थान परिवहन की गई विनिर्दिष्ट ..... वनोपज संग्रहीत की जावेगी।

(ड) विक्रय प्रमाण पत्र जो संलग्न है। .....

स्थान .....

दिनांक ..... आवेदन के हस्ताक्षर

प्रारूप "पी" 1 (मुख्य)

(नियम 5(1) देखिये)

संग्रहण डिपो से भंडारकरण गोदाम तक

पुस्तक क्रमांक .....पृष्ठ क्रमांक ..... श्री मेसर्स .... खंड के यूनिट क्रमांक ..... के क्रेता ने ..... के सम्बन्ध में करार के खंड ..... के अनुसार ..... के ..... क्विंटलों का क्रय मूल्य ..... रुपये पूर्णतः/अंशतः चुका दिया है।

तद्नुसार उसे ..... क्विंटल ..... का ..... से (संग्रहण डिपो से) ..... (भंडारकरण गोदाम) तक परिवहन करने की अनुज्ञा दी जाती है।

(2) अनुज्ञा-पत्र दिनांक ..... तक विधि मान्य है। उपरोक्त का परिवहन निम्नलिखित मार्ग से किया जायेगा ..... तथा जाँच पड़ताल के लिये और परिरक्षण हेतु निम्नलिखित स्थानों पर प्रस्तुत किया जावेगा ..... ।

(3) उपयोग करने के लिए अनुज्ञात सहायक अनुज्ञा-पत्र के ब्यौरे -

पुस्तक क्र. ..... पृष्ठ क्र. ..... दिनांक ..... तक जारी करने के लिये विधिमान्य है।

.....

खण्डीय वन आफिसर

प्रारूप "पी" 2

(नियम 5(1) दो देखिये)

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 2

राज्य से बाहर परिवहन हेतु

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

(1) श्री मेसर्स ..... खंड ..... के यूनिट क्र. ..... के क्रेता को ..... (वन उपज) के सम्बन्ध में पैकेजों में पैक की गई ..... क्विंटल विनिर्दिष्ट वन उपज का ..... से ..... तक सड़क द्वारा तथा वहाँ से ..... तक ट्रेन द्वारा परिवहन करने की अनुज्ञा दी जाती हैं।

(2) मध्य प्रदेश के बाहर पारेषिती का नाम तथा पता ..... ।

(3) अनुज्ञा-पत्र दिनांक ..... विधिमान्य है।

स्थान .....

दिनांक ..... मुद्रा खंडीय वन आफिसर

प्रारूप "पी" 3

(नियम 5(1) तीन देखिये)

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक ..... संग्रहण केन्द्र भण्डारकर गोदाम से राज्य के भीतर किसी स्थान तक

(1) क्रेता का नाम .....

(2) ..... यूनिट क्र. ..... खण्ड ..... के सम्बन्ध में।

(3) गौण वन उपज की मद .....

(4) खंडीय वन आफिसर के प्राधिकार का निर्देश क्र. ..... दिनांक .....

(5) मात्रा ..... कालावधि ..... जिसके लिये पद 4 में प्राधिकार जारी किया गया है।

(6) उपरोक्त प्राधिकार के अधीन पूर्व में परिवहन की गई मात्रा .....

(7) अब इस अनुज्ञा-पत्र के द्वारा परिवहन की जाने वाली मात्रा .....

(8) स्थान .....से ..... तक

(9) परिवहन का प्रयोजन .....

(10) परिवहन का मार्ग .....

(11) जाँच पड़ताल के स्थान .....

(12) अनुज्ञा-पत्र दिनांक ..... तक विधिमान्य हैं।

जाँच करने वाले के हस्ताक्षर जारी करने वाले के हस्ताक्षर

नोट - जब तक खण्डीय वन आफिसर द्वारा लिखित में अन्यथा प्राधिकृत न किया हो अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं होगी।

प्रारूप "घ"

(नियम 6(2) देखिये)

विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज को उगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

(क) आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता .....

(ख) उन भू-खण्डों की स्थिति, क्षेत्र तथा सर्वे नम्बर जिन पर विनिर्दिष्ट वन उपज उगाई गई है। .....

(ग) भूमि के स्वामी के विषय में विशिष्टियाँ .....

(घ) प्रत्येक भू-खण्ड के विद्यमान वृक्षों की .....

(ङ) क्या विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) वाणिज्य फसल के रूप में उगा रहा हैं।

(च) विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) का प्राक्कलित उत्पादन।

(छ) गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा संग्रहीत की गई।

वर्ष	मात्रा
.....	.....
.....	.....
.....	.....

(ज) ..... तथा ..... वर्ष .....

(पिछले दो वर्षों) में विनिर्दिष्ट वन उपज () किसको औरकितनी राशि में बेची गई।

(झ) स्थान, जहाँ विनिर्दिष्ट वन उपज जब तक परिदान न किया जाये। अस्थाई रूप से संग्रहीत की जायेगी।

.....

स्थान .....

दिनांक ..... आवेदन के हस्ताक्षर

प्रारूप "ङ"

(नियम 6(2) देखिये)

वन उपज के उगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्र. ..... पृष्ठ क्र. .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... आत्मज ..... ग्राम ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... जो इकाई क्र. ..... में आता है, को खंड ..... की विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 10 के अधीन अपेक्षित किये अनुसार विनिर्दिष्ट वन उपज के उगाने वाले के रूप में तारीख ..... को रजिस्ट्रीकरण किया गया है।

उपभोग या निर्माण के लिये कच्चे माल के रूप में या व्यापार के लिये उसके खाते में की उपर्युक्त विनिर्दिष्ट वन उपज का वार्षिक उत्पादन प्राक्कलित ..... है। संग्रहण के स्थान .....।

उगाने वाला उसके द्वारा तारीख ..... से ..... तक की कालावधि के दौरान संग्रहीत तथा निवर्तित वन उपज का लेखा रखेगा और उसे इस कार्यालय में प्रतिवर्ष तारीख ..... को प्रेषित करेगा।

खातों का ब्यौरा -..... उपखंडीय वन आफिसर संलग्न अधि

प्रारूप "च"

(नियम 6(5) देखिये)

रजिस्टर्ड वनोपज उगाने वाले की लेखा पर्ची

वर्ष ..... नाम तथा पता ..... रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ..... इकाई ..... वनोपज ..... मात्रा ..... ।

खंडीय वन आफिसर .....खण्ड

दिनांक	क्रय की गई मात्रा	दर	भुगतान की गई राशि	अभिकर्त्ता या सरकार के ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर जो विनिर्दिष्ट वन उपज क्रय करने हेतु प्राधिकृत है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रारूप "छ"

विनिर्दिष्ट वन उपज के विनिर्माता व्यापारी उपभोक्ता द्वारा घोषणा

मैं/हम ..... एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम विनिर्दिष्ट (वनोपज) के जिला..... राज्य में कार्यरत्वास्तविक विनिर्माता हूँ/हैं। मेरे/हमारे कारोबार ब्यौरे ..... निम्नानुसार हैं -

(1) उस व्यक्ति या फर्म या कम्पनी का नाम .....
जिसके नाम से कारोबार चलाया जाता है।

(2) फर्म या कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

(3) कारोबार के उन केन्द्रों के नाम जिनमें .....
कि या तो कार्यालय हो या डिपो हो-

(1) .....
(2) .....
(3) .....

(4) घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने का समय प्रत्येक .....
डिपो में विनिर्दिष्ट (वनोपज) का वर्तमान स्टाक।

संग्रहण केन्द्र का नाम	प्रजाति	मात्रा
(1)	(2)	(3)

(5) व्यापार, जिसके लिए विनिर्दिष्ट (वनोपज) को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है या उसके किस प्राकर उपयोग किया गया है।

(6) पूर्व के दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विनिर्मित ऐसे तैयार माल की मात्रा जिसके कि विनिर्दिष्ट (वनोपज...) को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया गया उपयोग में लाई गई विनिर्दिष्ट (वनोपज...) की मात्रा ।

वर्ष	तैयार माल की मात्रा	उपयोग में लाई गई विनिर्दिष्ट (वन उपज ....) की मात्रा
(1)	(2)	(3)

(7) आगामी वर्ष के दौरा तैयार माल की अनुमानित मात्रा और उसके लिये विनिर्दिष्ट (वनोपज) की अनुमानित आवश्यकता।(क) अनुमानित तैयार माल .....

(ख) विनिर्दिष्ट (वनोपज) अनुमानित .....

(8) पूर्व के दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात की गई विनिर्दिष्ट (वन उपज) की मात्रा।

वर्ष	निर्यात का स्थान	किसको निर्यात की गई	मात्रा
1.	1.	.....	.....
2.	2.	.....	.....
	3.	.....	.....
	1.	.....	.....
	2.	.....	.....
	3.	.....	.....

(9) आगामी वर्ष के दौरान अनुमानित निर्यात (मात्रा) ..... में यह और घोषित करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध पढ़ लिये हैं तथा समझ लिये हैं।

ऊपर दिये गये समस्त ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं और उनके प्रमाण में साक्ष्य पेश करूँगा।

स्थान .... विनिर्माता/व्

घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की तारीख ..... तारीख को ..... (आफिसर) को ..... (स्थान) पर दो प्रतियों में प्रस्तुत की गई।

विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के हस्ताक्षर

प्रारूप "ज"

(नियम 8(2) देखिये)

धारा 11 के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) के विनिर्माता, व्यापारी/उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र -

(क) आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम तथा आवेदक का पता .....

(ख) यदि वह रजिस्ट्रीकृत फर्म या कम्पनी हो, तो .....
फर्म या कम्पनी के नाम उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, ...
रजिस्ट्रीकरण का वर्ष, ...
मुख्यत्यारनामा धारण करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता .....
मुख्यत्यारनामे की एक प्रति संलग्न की जाये।

(ग) कारबार का/के स्थान या मुख्यालय या .....

प्रधान कार्यालय की स्थिति, ग्रम या नगर, ...तहसील, पुलिस थाना तथा जिला। .....

(घ) विनिर्दिष्ट वन उपज .....

व्यापार की विशिष्टियाँ (मात्रा)

(1) प्रतिवर्ष कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त औसत मात्रा।

और/या

गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के बाहर प्रतिवर्ष निर्यात की गई विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की औसत मात्रा तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात की गई विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की मात्रा।

	औसत मात्रा
वर्ष	.....
वर्ष	.....
वर्ष	.....

(2) विनिर्माता की दशा में व्यापारी चिन्ह, यदि कोई हो तथा व्यापारी की दशा में उस स्थान का नाम या उन स्थानों के नाम, जहाँ विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) का निर्यात किया जाता है।

(3) विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की प्राक्कलित वार्षिक आवश्यकता -

(एक) निर्माण के कच्चे माल के रूप में उपयोग या व्यापार के प्रयोजन हेतु।(दो) निर्यात के प्रयोजन हेतु

(4) उन गोदामों के स्थान का या स्थानों के नाम जहां आवेदक का वन उपज (.....) का स्टाक भण्डारित किया जाता है।

(5) वह रीति, जिसमें कि अपेक्षित स्टाक अभिप्राप्त किया जाता है।

(6) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (एक्साइज) रजिस्ट्रीकरण क्रमांक यदि कोई हो।

(ङ) आवेदक .....

(एक) विनिर्माता।

(दो) व्यापारी।

(तीन) उपभोक्ता के रूप में कब से कार्य करता है .....

(च) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनको कि आवेदन पत्र के ब्यौरे के सत्यापन के लिये निर्देश किया जा सके।

(एक) .....

(दो) .....

(छ) विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की मात्रा जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है।

(ज) वर्ष जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है।

(झ) क्या आवेदक पूर्व में राष्ट्रीयकृत किया गया था और यदि ऐसा है तो किस वर्ष में तथा किस खण्ड में और विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की कितनी मात्रा के लिए।

(त) कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक इस साक्ष्य के रूप में देना चाहे कि वह विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) का वास्तविक विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता ..... हैं।

(थ) ..... रुपये रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय का साक्ष्य।

स्थान .....

तारीख ..... (आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रारूप "झ"

(नियम 8(2) देखिये)

विनिर्दिष्ट वन उपज के ..... विनिर्माता/व्यापारी।

उपभोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मेसर्स ..... आत्मज ..... निवासी ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... को मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 की धारा 11 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) के विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रूप में वर्ष ..... के लिये रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के लिये प्रतिवर्ष हाथ में ली गई विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की प्राक्कलित मात्रा लगभग ..... है जो निम्नलिखित स्थानों पर संग्रहीत है।

(1)

(2)

(3)

(4) मुद्रा

(5) खण्डीय वन आफिसर

प्रतिलिपि वन संरक्षक, वन उपज मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रारूप "ञ"

(हस्ता) खण्डीय वन आफिसर

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक.....

(नियम 9 देखिये)विक्रय का प्रमाण पत्र

(1) क्रेता का नाम .....

(2) विक्रय डिपो ..... इकाई .....

(3) विक्रय की गई/परिदत्त की गई मात्रा .....

(4) विक्रय/परिदान की तारीख .....

स्थान .....

तारीख ..... वन अधिकारी/अभिकर्त्ता

या प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रारूप "ट"

(नियम 10(2) देखिये)

विनिर्दिष्ट वन उपज ..... के अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आवेदन-पत्र।

(1) आवेदक तथा उसके पिता का नाम .....

(फर्म के मामले में तथा फर्म के नाम से कार्य करने वाले भागीदारों और मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा मुख्तारनामे की प्रति संलग्न की जाये)

(2) पूरा पता .....

(3) वृत्ति .....

(4) करावार के स्थान .....

(5) उस विनिर्दिष्ट वन उपज का नाम .....
जिसके लिये आवेदन दिया है।

(6) विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा जिसके .....
लिये आवेदन दिया है।

(7) प्रत्याशित वार्षिक आवश्यकता .....

(8) निजी सम्पत्ति के ब्यौरे सहित वित्तीय स्थिति। .....

(9) उक्त विनिर्दिष्ट वन उपज के व्यापार के सम्बन्ध में .....
पूर्व अनुभव (यदि कोई हो) तथा संकार्य के क्षेत्र।

(10) स्थान जिसके लिये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है।

(11) आवेदन फीस के संदा का साक्ष्य .....

(12) वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस संदाय का साक्ष्य .....
(मूल चालान आदि संलग्न किये जायें)

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैंने/हमने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 या उसके अधीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबन्धों को पढ़अ तथा समझ लिया है। अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के भंग की दशा में मैं/हम विहित की गई रीति से दण्डित किया जा सकूँगा/किये जा सकेंगे। ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप "ठ"
(नियम 10(6) देखिये)
विनिर्दिष्ट वन उपज

(1) अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

(2) कालावधि जिसके लिये विधिमान्य है .....

(3) अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम तथा पता .....

(4) वह स्थान या वे स्थान जहाँ फुटकर विक्रय .....
किया जाना अनुज्ञात हैं।

(5) उस विनिर्दिष्ट वन उपज के नाम जिसके .....
लिये अनुज्ञप्ति मंजूर की गई हैं।

(6) ऐसी प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा.....
जिसका कि वर्ष के दौरान फुटकर विक्रय हेतु व्यापार किया जाना हो।

मुद्रा

राजपत्रित सहायक
खण्डीय वन आफिसर
खण्ड

नोट - (1) मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन): नियम, 1969 के नियम 10 के साथ पठित मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969 की धारा 13 के अनुसार।

(2) ऊपर वर्णित अधिनियम तथा नियमों या इस अनुबन्धों का कोई भंग होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी।